Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

Evaluation Warning : The document was created with Spire.Doc for .NET.

श्री संजय पासवान, माननीय स0वि0प0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या डी.सी.-4

प्रश्न कर्त्ता		उत्तर दाता	
श्री संजय पासवान, स0वि0प0		**श्री श्रवण कुमार, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग**	
(क)	क्या यह सही है कि गया जिला अन्तर्गत नवनिर्मित मोहरा प्रखंड अधिसूचित किया जा चुका है;	(क)	स्वीकारात्मक है।
(ख)	क्या यह सही है कि जिलाधिकारी ने अपने पत्रांक 3864 दिनांक 08.10.2012 के द्वारा मोहरा प्रखंड स्थित कजूर गांव में करीब 11 एकड़ उपलब्ध जमीन पर प्रखंड भवन निर्माण कराने हेतु अपनी अनुशंसा सरकार को भेजी है;	(ख)	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि समाहर्त्ता, गया के पत्रांक 3854 दिनांक 08.10.2012 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, नीमचक बथानी एवं अंचल अधिकारी, मोहड़ा का प्रखंड-मोहड़ा के मुख्यालय निर्धारण हेतु कजूर एवं जेठियन का संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रतिवेदन भूमि के रकबा का उल्लेख नहीं है।
(ग)	क्या यह सही है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी वर्तमान में अतरी प्रखंड में ही सारे अधिकारी कार्य करते हैं और मोहरा प्रखंड में पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है;	(ग)	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मोहडा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के कार्यो का निष्पादन मोहड़ा प्रखंड सह अंचल में पदस्थापित पदाधिकारी/ कर्मचारी के द्वारा अतरी प्रखंड परिसर के भवन में किया जा रहा है।
(घ)	कया यह सही है कि कजूर गांव में ही करीब 10 करोड़ की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कराया गया है जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा दिनांक 26.09.2020 को किया गया है;	(घ)	स्वीकारात्मक है।
(ड़.)	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मोहरा प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों को बैठने तथा कजूर में प्रखंड मुख्यालय का भवन बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक नहीं तो क्यों ?	(ड़.)	वस्तुस्थिति यह है कि अधिसूचित मुख्यालय मोहड़ा पहाड़ के बीच में अवस्थित होने एवं भौगोलिक संरचना तथा आवश्यक मूलभूत सुविधाएं नहीं रहने के कारण समाहर्त्ता, गया के द्वारा गठित स्थल चयन समिति के द्वारा चयनित वैकल्पिक प्रस्ताव के रूप में प्रखंड मुख्यालय मौजा-जेठियन, थाना नं0-223, खाता नं0-543, 544, रकबा 2.62 एकड़ अनावाद सर्वसाधारण खाते की भूमि को समाहर्त्ता, गया के पत्रांक 3539 दिनांक 31.12.2015 द्वारा सर्वसम्मति से अनुशंसित किया गया है। समाहर्त्ता, गया से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में संबंधित मामलें को अधिसूचित मुख्यालय से भिन्न होने के कारण ''सचिवों की समिति'' के समीक्षार्थ तथा मंत्रियों के समूह के

Digitially Signed by: Committee User 3 ( ) On 26/10/2021 06:10 PM

समक्ष विचारार्थ उपस्थापित किया जाना है । मंत्रियों के समूह के अनुमोदन के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी ।

Digitially Signed by: Committee User 3 ( ) On 26/10/2021 06:10 PM